न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 45 / 2022

अनीस पुत्र कासम जाति मेव आयु 28 साल निवासी गांव कुलवाना तहसील कांमा जिला भरतपुर–राज0

.....प्रार्थी0

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक भरतपुर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 जा.फो. बाबत सुपुर्दगी वाहन टाटा 12 चक्का पंजीयन नंबन आरजे 05 / जी. बी. 7184 व सिलसिले एफ.आई.आर. न. 166 / 2021 पुलिस थाना कोतवाली सीकरी अन्तर्गत धारा 3,5,6,8 राज0गो0 पशु (वध प्रतिषेध और अस्थापित नियति व विनयमन)

उपस्थित :–
1–श्री मुकेश कुमार पौनियॉ, अभिभाषक प्रार्थी,
2–ए0पी0पी0 पैरोकार सरकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 12–7–2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी इस आश्य का पेश किया गया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि वाहन वाहन टाटा 12 चक्का पंजीयन नंम्बर आरजे 05 / जी.बी. 7184 व सिलसिले एफ.आई.आर. न. 166 / 2021 का एक मात्र स्वामी है प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुर्दगी मे लेने का अधिकारी है। प्रार्थी न उक्त वाहन को दिनांक 25.3.2021 को तैययब पुत्र जबरखॉ जाति मेव निवासी नगला कुलवाना तथा नुरु पुत्र अर्जुन जाति मेव निवसी नगला कुलवाना तहसील व जिला भरतपुर को किराये पर दिया था। प्रार्थी की उक्त गाडी को दिनांक 18.4.2021 को पुलिस थाना सीकरी द्वारा पकडा गया है। वक्त घटना उक्त वाहन प्रार्थी के कब्जे में नहीं था ना ही प्रार्थी वक्त घटना मौजूद था। वाहन पुलिस थाना परिसर में खुले में खड़ा हुआ है जिसका खराब होने का पूर्ण संभावना है। प्रार्थी को अपने कार्य को करने एवं कारोबार को चलाने के लिये अपने वाहन की आवश्यकता है। वाहन को सुपुर्दगी में दिये जाने की प्रार्थना की गई है

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, पुलिस थाना सीकरी से पत्रावली तलब की गई। उपस्थित उभय पक्षकारान को सुना गया।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि प्रार्थी उक्त जप्त वाहन का मालिक है। प्रार्थी का उक्त वाहन पुलिस थाना सीकरी ने गौवंश परिवहन करते हुये जप्त किया गया है। उनका तर्क है कि वक्त घटना उक्त वाहन प्रार्थी के कब्जे में नहीं था और नाहीं प्रार्थी वक्त घटना मौजूद था। प्रार्थी ने उक्त वाहन को किराये पर दिया हुआ था। उक्त वाहन की पुलिस को अब कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुर्दगी मे लेने का अधिकारी है। उक्त थाना परिसर में खुले में खड़ा हुआ है जिसके धूप वर्षात में खराब होने की संभावना है। न्यायालय जो भी शर्त लगायेगा प्रार्थी को स्वीकार होगी। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वीकार किया जाकर वाहन सुपुर्दगी में दिया जावे।

पैराकार सरकार ए.पी.पी. ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि उक्त वाहन थाना सीकरी में एफआईआर नंबर 166/2021 अन्तर्गत धारा 3, 5, 6, व 8 राजस्थान गौवश अधिनियम एवं आबाकारी एक्ट की धारा 16/54 में जप्त किया हुआ है। उक्त वाहन प्रतिबन्धित गौवंश को राजस्थान से बाहर हरियाणा राज्य में परिवहन में लिप्त पाये जाने पर धारा 3,5,6,8 में जप्त किया गया है। ए.पी.पी. ने राजस्थान गौवंशीयपशु(वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) संशोधन अधनियम 2018 की धारा 6 व 6क में दिये गये प्रावधानों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि प्रार्थी को जप्त वाहन सुपुर्दगी में नही दिया जा सकता है, उन्होने प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। थाना अधिकारी पुलिस सीकरी से प्राप्त रिपोर्ट अवलोकन किया गया। उक्त वाहन एफआईआर नंबर 166/2021 अन्तर्गत धारा 3, 5, 6, व 8 राजस्थान गौवश अधिनियम एवं आबाकारी एक्ट की धारा 16/54 में जप्त किया हुआ है। इस न्यायालय को केवल गौवंश अधिनियम की धारा 3, 5, 6, व 8 के परिप्रेक्ष्य में जप्त वाहन की सुपुर्दगी पर विचार किया जाना है। पुलिस थाना सीकरी की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि उक्त जप्त वाहन गौवंश तस्करी राजस्थान सीमा से बाहर हरियाणा में परिवहन में लिप्त पाये जाने पर पुलिस थाना सीकरी द्वारा गौवंश अधिनियम धारा 3, 5, 6, व 8 में मु0न0 166/2021 में जप्त किया हुआ है। राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995 की धारा 5 में गोवंशीय पशु को राज्य के

.....3

किसी भी स्थान से राज्य के बाहर के किसी भी राज्य/स्थान को निर्यात प्रतिबन्धित किया हुआ है। गौवंशीय पशु को जप्त वाहन से राजस्थान सीमा से बाहर हरियाणा राज्य में गौवंश परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 6 परिवाहक का दुष्प्रेरक होना में अंकित है :–

> ".....जब कभी इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के किये जाने उद्धेश्य को अग्रसर करने में परिवहन के किसी भी साधन से गोवंशीय पशुओं का परिवहन किया जाये तो परिवाहक उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए अधिनियम की धारा 8 के अधीन उपंबधित है.....।"

इस प्रकार जप्त वाहन गौवंशीय पशु को राजस्थान सीमा से बाहर हरियाणा राज्य में गौवंश परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया। हम ए.पी.पी. के तर्को से सहमत हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किया जाता है। निणर्य प्रति के साथ पत्रावली तहत वापिस पुलिस थानाधिकारी कोतवाली भरतपुर को वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 12–7–2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर